

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2010—फाल्गुन 4, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 22 फरवरी 2010

शुद्धिपत्र

क्र. सात-ठेका-2010-11-01.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जनवरी, 2010 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक सात-ठेका-2010-11-01 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- (1) कंडिका "9(ड)" के स्थान पर "9(vii)" पढ़ा जाये.
- (2) कंडिका 10.2 की अंतिम पंक्ति में "दिनांक 01 फरवरी, 2010" के स्थान पर "दिनांक 14 फरवरी, 2010" पढ़ा जाये.
- (3) कंडिका 13.4 की दूसरी पंक्ति में अंकित संख्या "9" के स्थान पर संख्या "8" पढ़ा जाये.
- (4) कंडिका 17 के दूसरे पैराग्राफ की पांचवीं पंक्ति में शब्द एवं संख्या "मार्च 2010" के स्थान पर शब्द एवं संख्या "मार्च 2011" पढ़ा जाये.
- (5) कंडिका 31 की पहली पंक्ति में शब्द एवं संख्या "वर्ष 2009-10" के स्थान पर शब्द एवं संख्या "वर्ष 2010-11" पढ़ा जाये.
- (6) कंडिका 45 की अंतिम पंक्ति में शब्द एवं संख्या "वर्ष 2010-11" के स्थान पर शब्द एवं संख्या "वर्ष 2009-10" पढ़ा जाये.

- (7) परिशिष्ट-1.1, वर्ष 2010-11 के लिये नवीन खोली जाने वाली देशी मदिरा दुकानों की सूची के क्रमांक 3, संभाग इन्दौर, जिला इन्दौर के क्रमांक-4 पर अंकित "रविशंकर शुक्ल नगर" के स्थान पर "श्यामाचरण शुक्ल नगर" पढ़ा जाये.
- (8) परिशिष्ट-1.1, वर्ष 2010-11 के लिये नवीन खोली जाने वाली देशी मदिरा दुकानों की सूची के क्रमांक 7, संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर के क्रमांक 9 पर अंकित "अमखेरा" के समक्ष अंकित शब्द "नगरीय" के स्थान पर शब्द "ग्रामीण" व जनसंख्या "11,35,919" के स्थान पर जनसंख्या "6683" तथा क्रमांक 15 पर अंकित "सोहड़" के समक्ष अंकित शब्द "नगरीय" के स्थान पर शब्द "ग्रामीण" व जनसंख्या "11,35,919" के स्थान पर जनसंख्या "823" पढ़ा जाये.
- (9) परिशिष्ट-1.2, वर्ष 2010-11 के लिये नवीन खोली जाने वाली विदेशी मदिरा दुकानों की सूची के क्रमांक 3, संभाग इन्दौर, जिला इन्दौर के क्रमांक 2 पर अंकित विदेशी मदिरा दुकान चौपाटी पीथमपुर रोड के समक्ष अंकित शब्द "नगरीय" के स्थान पर शब्द "ग्रामीण" व जनसंख्या "15,50,880" के स्थान पर जनसंख्या "6000" पढ़ा जाये.
- (10) परिशिष्ट-1.2, वर्ष 2010-11 के लिये नवीन खोली जाने वाली विदेशी मदिरा दुकानों की सूची के क्रमांक 7, संभाग जबलपुर, जिला मण्डला के क्रमांक-2 पर अंकित "मबई (जार)" के स्थान पर "मबई" तथा जिला सिवनी के समक्ष अंकित "खैरापलारी" के स्थान पर इसे "खैरापलारी तिगड्डा (डूडा सिवनी)" पढ़ा जाये.

हस्ता./-

(अरूण पाण्डेय)

आबकारी आयुक्त,

मध्यप्रदेश.